कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला नीमच म0प्र0

आं0 कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की स्थिति

क्र0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	ग्रामपंचायत/ नगर पालिका/ नगर परिषद का नाम	रिक्त पद			रिमार्क
				कार्यकर्ता	उप कार्यकर्ता	सहायिका	
1	जावद	बाघपुरा	खातीखेड़ा	01	0	0	–
2	जावद	लापिया	सुठौली	0	0	01	–
3	जावद	जावद वार्ड 13	न0पा0जावद	0	0	1	–
4	जावद	मोड़ी	मोड़ी	0	0	1	–
5	मनासा	रगसपुरिया	आमद	01	0	0	–
6	मनासा	कान्हा की बारद	मालाहेड़ा	01	0	0	–
7	मनासा	चुकनीखेड़ा	चुकनीखेड़ा	01	0	0	–
8	मनासा	सुण्डी	भेरपुरा	01	0	0	–
9	मनासा	इन्द्राकालोनी देवरी खवासा	देवरी ख्वासा	0	0	01	–
10	मनासा	बालागंज क्रं0 02	बालागंज	0	0	01	–
11	नीमच नवीन	नीमच केन्द्र 55, वार्ड क्रमांक 34	नगर पालिका नीमच	01	0	0	–
12	नीमच ग्रामीण	लक्ष्मीपुरा	हरनावदा	01	0	0	–
13	नीमच ग्रामीण	धोकलखेड़ा	कुचड़ौद	01	0	0	–
14	नीमच ग्रामीण	जावी क्रमांक 01 मिनी	जावी	0	01	0	–
15	नीमच ग्रामीण	टाटिया खेड़ी मिनी	सेमली मेवाड़	0	01	0	–
16	नीमच ग्रामीण	रायसिंगपुरा मिनी	भादवामाता	0	01	0	–
17	नीमच ग्रामीण	लेवड़ा	धनेरियाकला	0	0	01	–
18	नीमच ग्रामीण	जागोली	धनेरियाकला	0	0	01	–
19	नीमच ग्रामीण	धनेरियाकला क्रं0 3	धनेरियाकला	0	0	01	–
20	नीमच ग्रामीण	सोकड़ी	पिराना	0	01	0	–

21	नीमच ग्रामीण	जीरन वार्ड 09	जीरन	0	0	01	–
22	नीमच ग्रामीण	भरभड़िया कं0 4	भरभड़िया	0	0	01	–
23	नीमच ग्रामीण	कोठड़ी इष्तमुरार .02	कोठड़ी इष्तमुरार	0	0	01	–
24	नीमच ग्रामीण	जोरावरपुरा कं0 02	सेमली मेवाड	0	0	01	–
25	नीमच ग्रामीण	सावन कमांक 02	सावन	0	0	01	–
26	नीमच ग्रामीण	सेमली चन्द्रावत	सेमली चन्द्रावत	01	0	0	–
27	नीमच ग्रामीण	अरनिया कुमार	जयसिंगपुरा	01	0	0	–
28	नीमच ग्रामीण	कराड़िया महाराज	कराड़िया महाराज	01	0	0	–
29	नीमच ग्रामीण	चल्दु क्र.03	चल्दु	0	0	01	–
30	नीमच ग्रामीण	कान्हाखेड़ा 1	कान्हाखेड़ा	0	0	01	–
31	रामपुरा	जन्नौद कं0 1	जन्नौद	0	0	01	–
32	रामपुरा	चचोर केन्द्र 03	चचौर	0	0	01	–
33	रतनगढ	फुसरिया केन्द्र कं0 2	फुसरिया	01	0	0	–
34	रतनगढ	कोज्या केन्द्र कं0 2	कोज्या	01	0	0	–
35	रतनगढ	रतनगढ वार्ड 11	रतनगढ	0	0	01	–
36	रतनगढ	बोहड़ा	पटियाल	0	0	01	–
37	रतनगढ	बल्दरखां	बधावा	0	0	01	–
38	रतनगढ	मोटियार्डा	शहनातलाई	0	0	01	–
39	रतनगढ	पलासिया	पलासिया	01	0	0	–
40	रतनगढ	मनोहरपुराखुर्द	आम्बा	01	0	0	–
			कुल रिक्त पद	**15**	**04**	**21**	

<u>शासन अनुसार नियम व शर्ते–आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताऐं</u>

1– आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये जिस कैलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो, उस कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2–आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षैत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये।

ग्राम / नगरीय क्षैत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिये राशन कार्ड/संबंधित ग्राम / नगरीय क्षैत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची/ अद्यतन बी0पी0एल0 सूची में महिला का नाम होना चाहिए एवं बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के पूर्व का जारी मान्य होगा। अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर एस0डी0एम0/ तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है।

3–शैक्षणिक योग्यता–

नगरीय एवं सामान्य क्षैत्रों में महिला अभ्यर्थी अनिवार्यतः हायर सैकण्डरी (12वी उत्तीर्ण) होना चाहिए।

4– चयनित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी अथवा पंचायतीराज संस्थाओं/ नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना चाहिये और साथ ही चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालों की सगे संबंधियों से अभिप्रायः माता–पिता, भाई–बहन, पति–पति, पुत्र–पुत्री एवं पुत्र वधु।

5–आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नियुक्ति के मापदण्ड (योग्यता सूची)

चयन समिति द्वारा आंनगवाडी केन्द्रवार योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी। मैरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निम्नानुसार दिये जावेंगेः–

6–शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षैत्रः–

1– अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की महिला के लिए 5 अंक

2– गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक

3– विधवा आवेदिका को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यकता एवं तलाकशुदा आवेदिका को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला को (अविवाहित होने संबंधित ग्राम पंचायत/ वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा) के लिए 10 अंक

4– आंगनवाड़ी केन्द्रों की सहायिका/ मिनी / आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ता/ शिशु शिक्षा केन्द की दीदीयों/ शहरी क्षैत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं/ पूर्व में अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका/ आशा कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव। प्रथम 2 वर्ष के लिये 4 अंक तथा शेष 03 वर्षो के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 2–2 अंक, प्रतिवर्ष इस तरह 10 अंक।

दो वर्ष से कम अनुभव के लिए कोई लाभ नहीं दिया जावेगा। (उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जावेगा, जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो।)

5– हायर सैकण्डरी में 40 प्रतिशत तक 25 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक

6– स्नातक / स्नातकोत्तर होने पर 10 अंक
7– समस्त दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समितियों द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।

शासन द्वारा निर्धारित मूल मानदेव 3000/– एवं अतिरिक्त मानदेय 2000/–कुल 5000/– माह भर की उपस्थिति एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर स्वीकृति अनुसार दिया जावेगा।

शासन अनुसार नियम व शर्ते–आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता / सहायिका की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताऐं

1– आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।

आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका के लिये जिस कैलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो, उस कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2–आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षैत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये।

ग्राम / नगरीय क्षैत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिये राशन कार्ड/संबंधित ग्राम / नगरीय क्षैत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची/ अद्यतन बी0पी0एल0 सूची में महिला का नाम होना चाहिए एवं बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के पूर्व का जारी मान्य होगा। अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर एस0डी0एम0/ तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है।

3–शैक्षणिक योग्यता–

नगरीय एवं सामान्य क्षैत्रों में महिला अभ्यर्थी अनिवार्यतः पांचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

4– चयनित की जाने वाली आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका को ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी अथवा पंचायतीराज संस्थाओं/ नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना चाहिये और साथ ही चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालों की सगे संबंधियों से अभिप्रायः माता–पिता, भाई–बहन, पति–पति, पुत्र–पुत्री एवं पुत्र वधु।

5–आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका के नियुक्ति के मापदण्ड (योग्यता सूची)
चयन समिति द्वारा आंनगवाडी केन्द्रवार योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी। मैरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निम्नानुसार दिये जावेंगे:–

6–शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षैत्रः–

1– अनु0 जाति / अनु0 जनजाति की महिला के लिए 10 अंक

2– गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक

3– विधवा आवेदिका को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यकता एवं तलाकशुदा आवेदिका को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला को (अविवाहित होने संबंधित ग्राम पंचायत / वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा) के लिए 10 अंक

4– पांचवी में 40 प्रतिशत तक 30 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक

5– आठवी अथवा उससे अधिक होने पर 10 अंक

6– समस्त दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समितियों द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।

शासन द्वारा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु निर्धारित मूल मानदेय 2250 /– एवं अतिरिक्त मानदेय 1000 /–कुल मानदेय 3250 /– एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु निर्धारित मूल मानदेय 1500 /– एवं अतिरिक्त मानदेय 1000 /– कुल मानदेय 2500 /– माह भर की उपस्थिति एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर स्वीकृति अनुसार दिया जावेगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु आवेदन करने की प्रकियाः–

आवेदन दिनांक **17.10.2017 से 02.11.2017 सायं 5 बजे तक MP online की वेबसाईट** पर ऑनलाईन जमा किये जा सकेगें। निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् उसका प्रिंट आउट निकालकर मय दस्तावेज स्व प्रमाणित कर जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला नीमच में दिनांक **03.11.2017 से 10.11.2017 को सायं 5.00** बजे के पूर्व अनिवार्य रूप से हार्डकॉपी पर प्रेषित करना होगा।

चयन प्रकियाः–

सं0क्रमांक	विवरण	मूल्यांकन	अधिकतम अंक

1— उक्त प्रक्रिया में निर्धारित समिति के समक्ष निर्धारित दिनांक को विकासखण्ड स्तर पर विचार किया जाएगा।

2— वरियता क्रम के आधार पर अनन्तिम सूची तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3— दोनों आवेदिकाओं के प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरियता दी जावेगी।

4— प्रक्रिया से वरियता प्राप्त आवेदिकाओं के अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् अंतिम सूची प्रकाशन के बाद वरीयता प्रथम उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र मय कार्य उल्लेखों के दिया जावेगा।

5— अभ्यर्थी की पदस्थापना— अभ्यर्थी की पदस्थापना निर्धारित पद, निर्धारित स्थान पर दिया जावेगा, पद स्थानांतरित नहीं है।

अन्य शर्ते:—

1— आवेदन केवल नीमच जिले के निर्धारित स्थान एवं पद के लिए **MP online की वबसाईट** पर ऑनलाईन ही स्वीकार किया जायेगा तथा दिनांक **10.11.2017 को शाम 5 बजे तक** स्वप्रमाणित कर भेजना अनिवार्य रहेगा।

2— उपरोक्त व्यवस्था के अलावा आवेदन सीधे कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जावेगें।

3— आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

4— अभ्यर्थी को म0प्र0 का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

5— ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की सूची विविध कार्यालय एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी, जो आवेदक पात्र नहीं होगा, उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

6— उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समस्या/ विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम रहेगा।

7— चयनित उम्मीदवार की सेवा के संबंध में निर्देशों का पालन न करने की दशा में नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

8— विभाग द्वारा समय—समय पर आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

9— नियुक्ति के पश्चात् पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी का चयनित किया जायेगा। प्रतीक्षा सुची में एक पद के विरूद्ध 03 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

10— चयन सूची की वैद्यता सामान्यतः 1 वर्ष के लिए वैद्य रहेगी।

11— स्क्रुटनी के पश्चात् (अनन्तिम सुची के विरूद्ध) आपत्ति दर्ज नियमानुसार **दिनांक 20.11.2017 से 30.11.2017** तक **जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला नीमच** के कार्यालय में **सायं 5.00 बजे तक** दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। समय— सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12— अनन्तिम सूची में आपत्ति प्राप्त प्रकरणों को छोड़कर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

13— आपत्ति मय प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14— आपत्ति का निराकरण जिला स्तर पर बैठक आयोजन की सूचना पृथक से दी जावेगी।

15— जिन प्रकरणों में दावें आपत्ति समय सीमा में दर्ज नहीं होगी, वह अंतिम सूची प्रकाशन पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

16— नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में पदस्थापना पर मय पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जीवन बीमा/ अटल जीवन ज्योति का नामानी आदि की जानकारी उपस्थिति पत्रक के साथ देना अनिवार्य होगा।